01/01/2007/MSEZ/UAC

I/44943/2023

मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र

(दिनांक 09/03/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 09/03/2023 को दोपहर 11:30 बजे श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नोएडा एसईजेड की अध्यक्षता में मुरादाबाद एसईजेड की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

A. बैठक के दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री राजेश कुमार, उप विकास आयुक्त, NSEZ (वाणिज्य विभाग के नामित पत्र दिनांक 3/09/2008 के अनुसार)
2. श्री योगेश कुमार, संयुक्त आयुक्त (उद्योग), डीआईसी, मुरादाबाद (प्रमुख सचिव, उद्योग, उ0प्र0 सरकार के प्रतिनिधि)
3. श्री चमन लाल, सहायक डीजीएफटी, डीजीएफटी दिल्ली।
4. श्री संतोष कुमार, क्षेत्रीय प्रबंधक, यूपीएसआईडीए।
5. श्री नागेंद्र सिरोही, अधीक्षक, सीजीएसटी मुरादाबाद।
6. श्री भूपेंद्र कुमार मर्तोलिया, निरीक्षक, सीमा शुल्क, आईसीडी मुरादाबाद।
7. श्री आनंद प्रकाश, निरीक्षक, आयकर विभाग, मुरादाबाद।

B. उपरोक्त के अलावा, श्री (i) अमित कुमार गुप्ता, निर्दिष्ट अधिकारी (सीमा शुल्क), नोएडा एसईजेड/मुरादाबाद एसईजेड, (ii) विकास, सहायक विकास आयुक्त, मुरादाबाद एसईजेड और (iii) जोसेफ उपाध्याय, आशुलिपिक, मुरादाबाद अनुमोदन समिति की सहायता के लिए भी मौजूद थे। यह बताया गया कि निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक शुरू हो सकती है।

C. प्रारंभ में, अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ आवेदकों/इकाईयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

I/44943/2023

01.	<u>दिनांक 14/02/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।</u> दिनांक 14/02/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के निर्णयों के विरुद्ध कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ था, अनुमोदन समिति ने इस पर ध्यान दिया। अतः दिनांक 14/02/2023 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
02.	**मुरादाबाद एसईजेड में एक नई इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव।**
2.1	**मैसर्स ईबी33 फैशन ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड।** 1. मैसर्स ईबी 33 (EB33) फैशन ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड ने धातु (पीतल, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस इस्पात, लोहा, तांबा, जस्ता, आदि) कांच, लकड़ी, चीनी मिट्टी, संगमरमर सुलेमानी, चमड़ा, हड्डी, सींग, कंक्रीट, टेराज़ो, रतन, बांस, मोम आदि जैसी सभी प्रकार की सामग्री से बने हस्तशिल्प और सजावट की वस्तुओं के निर्माण और निर्यात के लिए एक एसईजेड (SEZ) इकाई की स्थापना के लिए आवेदन किया। पांच साल की ब्लॉक अवधि में अनुमानित निर्यात 95750.00 लाख रुपये जबकि एनएफई (NFE) 69550.00 लाख रुपये का था। 2. विकासक यूपीएसआईडीए (UPSIDA) ने दिनांक 31.10.2022 के पत्र (पत्रों) द्वारा आवेदक को क्रमशः 4189.22 वर्ग मीटर और 4793.66 वर्ग मीटर के पॉकेट-'ए' में प्लॉट संख्या डी-12 और डी-13 आवंटित किया था। कुल परियोजना लागत 3217.11 लाख रुपये आंकी गई थी। अनुमानित संयंत्र और मशीनरी 600.00 लाख रुपये स्वदेशी रूप से खरीदे गए और 300.00 लाख रुपये आयात किए गए। 3. श्री सुब्रत साहा, निदेशक और श्री शशि रंजन, इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और उनके प्रस्ताव की व्याख्या की। श्री सुब्रत ने बताया कि उनके पास पहले से ही अन्य परिचालित डीटीए इकाइयां हैं, जैसे मेसर्स ईबी33 फैशन प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स अर्थ33 हैंडीक्राफ्ट्स (इंडिया) मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड जो क्रमशः 2018 और 2022 से चालू हैं। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि मेसर्स मेकवे हैंडीक्राफ्ट्स और मेसर्स गिफ्टस्टाइल इंडिया के साथ उप-करार / उत्पादन के लिए उनका अनन्य सम्बद्ध है। उन्होंने आगे बताया कि उनके पास मेसर्स ओटंगटा 7 प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक और इकाई है जो भारत के साथ-साथ विदेशी बाजार में चाय के निर्माण और खुदरा बिक्री का काम करती है। पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि वे हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए नए हो सकते हैं लेकिन उनके पास इस क्षेत्र की एक मजबूत टीम है और उन्होंने पिछले 4 वर्षों में व्यापक शोध किया है और पूर्व-उत्पादन सुविधाओं/बुनियादी ढांचे का विकास किया है।

4. अनुमोदन समिति ने आवेदक से अनुरोध किया कि वे एसईजेड इकाई के लिए अपने धन के स्रोत के बारे में सूचित करें क्योंकि उनकी डीटीए इकाई मैसर्स ईबी33 फैशन प्राइवेट लिमिटेड ने पिछले वर्षों में घाटा उठाया है। श्री सुब्रत ने बताया कि घाटा गैर-व्यावसायिक के कारण हुआ, डीटीए मूल कंपनी द्वारा पिछले 4 वर्षों में उत्पादन किया गया क्योंकि वे वापस आधारभूत संरचना विकसित कर रहे थे और हस्तशिल्प के निर्माण में अनुसंधान एवं विकास कर रहे थे। आज की तारीख में उनके मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और दिल्ली में 04 कार्यालय हैं। यह बताया गया कि उनकी डीटीए (DTA) इकाई ने तीन महीने पहले वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया और 2023-24 में 20-25 करोड़ रुपये का कारोबार होने की उम्मीद है। उन्होंने आगे बताया कि एक स्थानीय व्यवसायी ने मैसर्स ईबी33 फैशन प्राइवेट लिमिटेड में 70 करोड़ रुपये का निवेश करने का वादा किया है और निवेशक से चालू वित्त वर्ष में 25 करोड़ रुपये की राशि पहले ही प्राप्त हो चुकी है। श्री सुब्रत ने बताया कि एसईजेड (SEZ) इकाई मैसर्स ईबी33 फैशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और एसईजेड इकाई की स्थापना के लिए मूल इकाई द्वारा 3217.11 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।

5. अनुमोदन समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया कि एसईजेड अधिकारी आवेदक की डीटीए इकाइयों अर्थात् मैसर्स मेकवे हैंडीक्राफ्ट्स (मुरादाबाद), मेसर्स गिफ्टस्टाइल इंडिया (संभल), मेसर्स अर्थ33 हैंडीक्राफ्ट्स (इंडिया) मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड (मुरादाबाद) और मैसर्स ईबी 33 फैशन प्राइवेट लिमिटेड (दिल्ली) का दौरा करेंगे, आवेदक द्वारा प्रदान किए गए पते पर और विकास आयुक्त, एनएसईजेड को मामले में एक रिपोर्ट जमा करेंगे। अनुमोदन समिति ने आगे मुरादाबाद एसईजेड में एक नई इकाई के लिए मैसर्स ईबी33 फैशन ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से धातु जैसी पीतल, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस इस्पात, लोहा, तांबा, जस्ता, कांच, लकड़ी, चीनी मिट्टी, संगमरमर सुलेमानी, चमड़ा, हड्डी, सींग, कंक्रीट, टेराज़ो, रतन, बांस, मोम आदि सभी प्रकार की सामग्री से बने हस्तशिल्प और सजावट की वस्तुओं के निर्माण और निर्यात के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन देने का निर्णय लिया जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:-

I. आवेदक द्वारा एचएस 2022 नामकरण और पूर्ण विवरण में आईटीसी (एचएस) कोड की संशोधित सूची प्रस्तुत करना।
II. मैसर्स ईबी33 फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली में अब तक प्रस्तावित/प्राप्त निवेशकों और निवेश के पूर्ण विवरण के साथ निर्धारित प्रारूप में निधि प्रवाह विवरण प्रस्तुत करना।

6. अनुमोदन समिति ने विकास आयुक्त, एनएसईजेड को आवेदक से उपरोक्त जानकारी प्राप्त होने के बाद मामले में आगे की आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार भी दिया।

3. **3.1**	**अनुमोदन समिति अध्यक्ष, के अनुमोदन से अतिरिक्त कार्यसूची:** **नोएडा एसईजेड के अधिकार क्षेत्र के तहत एसईजेड इकाइयों द्वारा 'प्रतिबंधित' उत्पादों का निर्यात :-** 1. यह कार्यसूची विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के तहत प्रतिबंधित उत्पादों के निर्यात के संबंध में स्पष्टता प्रदान करने के लिए लिया गया था। अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि एसईजेड नियम, 2006 के नियम 18(3) और नियम 26 में निम्नानुसार प्रावधान है: *नियम 18(3) : प्रस्ताव निम्नलिखित क्षेत्र विशिष्ट आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा, अर्थात्:-* *[(ए) विशेष आर्थिक क्षेत्रों से माल का निर्यात लागू निर्यात नीति के अधीन होगा, जैसा कि निर्यात और आयात वस्तुओं, 2017 के भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सामंजस्यपूर्ण प्रणाली) की अनुसूची 2 में प्रदान किया गया है;]* *नियम 26: आयात और निर्यात की सामान्य शर्तें:- एक इकाई माल और सेवाओं सहित आयात व्यापार नियंत्रण (सामंजस्यपूर्ण प्रणाली) निर्यात और आयात वस्तुओं के वर्गीकरण में इंगित निर्यात की प्रतिबंधित वस्तुओं को छोड़कर कृषि-उत्पाद, आंशिक रूप से संसाधित माल, उप-समुच्चय, घटक, उप-उत्पाद, अस्वीकार, अपशिष्ट या स्क्रैप निर्यात कर सकती है:* 2. अनुमोदन समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद निम्नानुसार निर्णय लिया: i. कोई भी उत्पाद जो वि. व्या. नी (एफटीपी) के तहत निर्यात के लिए 'प्रतिबंधित' है, इकाई को निर्यात करने से पहले उस विशिष्ट उत्पाद के लिए डीजीएफटी के कार्यालय से 'निर्यात लाइसेंस' प्राप्त करना होगा। 3. समिति ने आगे फैसला किया कि उपरोक्त निर्णय तुरंत प्रभावी है और मामले में अनुपालन के लिए नोएडा एसईजेड के अधिकार क्षेत्र के तहत सभी एसईजेड इकाइयों को एक संचार भेजा जा सकता है। स्पष्टता के लिए, जारी किए गए सभी एलओए (LOA) में यह सामान्य शर्तों में से एक होगा।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

(राजेश कुमार)
उप विकास आयुक्त

(ए. बिपिन मेनन)
विकास आयुक्त